

**जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश
संशोधन**

पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के संबंध में 5 सितंबर 2024 को प्रकाशित विज्ञापन में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

पत्रकारों को गत वर्ष की भांति ही प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा। बढ़े हुए प्रीमियम राशि का भुगतान राज्य सरकार करेगी। संशोधित प्रीमियम चार्ट एवं अन्य जानकारी जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट www.mpinfo.org पर उपलब्ध है ।

बीमा करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि अब 25 सितंबर, 2024 होगी।

शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

अपर संचालक,पत्रकार कल्याण



मध्यप्रदेश शासन

जनसम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेश



**सुरक्षा उनकी
जो हमें रखें जागरूक**



पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना

प्रदेश के पत्रकार, फोटोग्राफर एवं कैमरामैन को स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा की सुरक्षा

- स्वास्थ्य बीमा रुपये 4 लाख और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा रुपये 10 लाख का होगा। साथ ही स्वास्थ्य बीमा 2 लाख रुपये और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपये का भी विकल्प होगा। पत्रकार 4 लाख अथवा 2 लाख रुपये का बीमा करवा सकते हैं। 21 से 70 वर्ष की उम्र के संचार प्रतिनिधि इसके पात्र होंगे। पूर्व से बीमित पत्रकार 70 वर्ष की उम्र के बाद भी योजना के पात्र होंगे।
- बीमा एक साल के लिये किया जायेगा। 60 वर्ष तक के संचार प्रतिनिधि की वार्षिक बीमा प्रीमियम का 75 प्रतिशत और 61 से 65 वर्ष के संचार प्रतिनिधियों की बीमा प्रीमियम का 85 प्रतिशत भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
- पति, पत्नी, बच्चों (अधिकतम 25 वर्ष तक के तीन अविवाहित) एवं माता-पिता को निर्धारित प्रीमियम देने पर, योजना में शामिल किया जा सकेगा।
- बीमा पॉलिसी में पहले से विद्यमान सभी बीमारियाँ शामिल होंगी।
- जनसम्पर्क संचालनालय के अधिमाम्य पत्रकारों के साथ ही संचार संस्थान का फार्म 16 एवं पी.पी.एफ. कटौती की स्लिप देने वाले पत्रकारों को भी पूर्वानुसार पात्रता होगी।
- मध्यप्रदेश के मूल निवासी नई दिल्ली में कार्यरत पत्रकारों को भी योजना में पात्रता होगी।
- गैर अधिमाम्य पत्रकारों के लिये 50 प्रतिशत प्रीमियम पत्रकार द्वारा और 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा। इस श्रेणी में दैनिक

समाचार-पत्र के चार, साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक पत्र-पत्रिका और इलेक्ट्रॉनिक एवं जनसंपर्क संचालनालय/डीएव्हीपी में पंजीकृत वेब मीडिया के दो-दो प्रतिनिधियों को योजना में पात्रता होगी। इसमें निर्धारित संख्या के अनुसार प्रथम प्राप्ति 4/2 आवेदनों पर ही विचार किया जायेगा। आर.एन.आई. में रजिस्टर्ड नियमित पत्र-पत्रिकाओं के प्रतिनिधि पात्र होंगे।

- 65 वर्ष से अधिक उम्र के संचार प्रतिनिधियों का पूरा बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा देय होगा।
- पॉलिसी के तहत बीमा कंपनी के चिन्हित अस्पतालों में इलाज की कैशलेस व्यवस्था होगी। इसके लिये पत्रकारों को ई-कार्ड ई-मेल के माध्यम से भेजा जायेगा। अस्पताल में इलाज के दौरान पत्रकारों को आधार कार्ड ले जाना जरूरी होगा।
- योजना का विवरण, प्रीमियम तालिका जनसम्पर्क की वेबसाइट www.mpinfo.org पर उपलब्ध है। प्रीमियम को NEFT कर यू.टी.आर. नंबर की जानकारी सहित अन्य पूरी जानकारी ऑनलाइन <https://mdindiaonline.com/mpgovt/loginpage.aspx> लिंक पर उपलब्ध फार्म में भरनी होगी। फार्म ऑफलाइन नहीं लिये जायेंगे। अधिमाम्यता प्राप्त और गैर अधिमाम्यता प्राप्त पत्रकारों के अलग-अलग फार्म हैं। **निर्धारित फार्म ही भरें।**
- तालिका में पत्रकार पति-पत्नी एवं बच्चों का प्रीमियम जोड़कर दिया गया है। माता-पिता का प्रीमियम अलग से तालिकानुसार जोड़ना होगा।

नोट : अधिमाम्य पत्रकारों की नयी बीमा पॉलिसी 4 अक्टूबर 2024 और गैर अधिमाम्य पत्रकारों की 1 नवम्बर 2024 से शुरू होगी।

संपर्क :

1. राजेश रावत, सहायक प्रबंधक, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, भोपाल।
फोन नं. 0755-2492757, मो. 7305015820
2. मनोज बाथम, उपप्रबंधक, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, भोपाल।
फोन नं. 0755-2555338, मो. 9677245634
3. पत्रकार कल्याण शाखा, जनसम्पर्क संचालनालय, भोपाल। **फोन नं. 0755-4096320**
4. बीमा पॉलिसी के कार्ड और क्लेम संबंधी जानकारी के लिये
एम.डी. इण्डिया, फोन नं. 0755- 4936991
मो. : 7391054038 (अनिल) एवं 8956129648 (अरुण मारन) से संपर्क करें।
5. अधिक जमा प्रीमियम राशि हेतु : ई-मेल - uiicdo2bpl.jins@gmail.com

नोट : यदि पत्रकार अपने परिवार के सदस्य/सदस्यों को भी योजना में शामिल कराना चाहते हैं, तो तालिका में दर्शाए गए आयु वर्ग के अनुसार प्रीमियम राशि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम बैंक आफ इंडिया, सचिवालय ब्रांच एमपी नगर, भोपाल खाता क्र. 900520100000291, IFSC कोड-BKID 0009005, MICR कोड-462013006 में NEFT/UPI/Netbanking के माध्यम से करें। Online जमा गई राशि का UTR/Payment ID नंबर आवेदन-पत्र में भरें।

बीमा पॉलिसी की विस्तृत जानकारी www.mpinfo.org एवं

<https://mdindiaonline.com/mpgovt/loginpage.aspx> पर उपलब्ध है।

**आवेदन प्राप्त
होने की
अंतिम तिथि
20 सितम्बर
2024**

पत्रकारों के हित में - मध्यप्रदेश सरकार



युनाइटेड इंडिया इश्युरेंस कंपनी लिमिटेड

मंडल कार्यालय- 2, 153, गुरु आर्केड, जॉन-1, एम पी नगर, भोपाल- 462011

वर्ष 2024-25

अतिरिक्त कवर के अनुसार

(वर्ष 2018-19 के आधार पर)

(अधिमान्य पत्रकारों के लिए)

बीमा राशि ₹ 2,00,000/- स्वास्थ्य बीमा एवं ₹ 5,00,000/- व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा हेतु प्रीमियम चार्ट (@18% जी. एस. टी. सहित)													
अनुक्रमांक	आयु	मूल प्रीमियम स्वास्थ्य बीमा (बीमित राशि ₹ 200000 हेतु)	मूल प्रीमियम व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (बीमित राशि ₹ 500000 हेतु)	कुल प्रीमियम (स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा) केवल पत्रकारों हेतु ।	प्रीमियम पत्रकार की ओर से	प्रीमियम सरकार की ओर से	स्वयं	स्वयं+ पति/पत्नी	स्वयं+पति/पत्नी + एक बच्चा	स्वयं+पति/पत्नी + 2 बच्चे	स्वयं+पति/पत्नी + 3 बच्चे	माता या पिता	माता + पिता
1	0-35	10562	359	10921	1185	9736	1185	1623	2061	2499	2937	657	1314
2	36-45	12482	359	12841	1384	11457	1384	1902	2419	2937	3455	777	1553
3	46-55	19200	359	19559	2081	17478	2081	2878	3674	4471	5267	1195	2390
4	56-60	26497	359	26856	2838	24018	2838	3937	5036	6135	7235	1649	3298

बीमा राशि ₹ 2,00,000/- स्वास्थ्य बीमा एवं ₹ 5,00,000/- व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा हेतु प्रीमियम चार्ट (@18% जी. एस. टी. सहित)														
अनुक्रमांक	आयु	मूल प्रीमियम स्वास्थ्य बीमा (बीमित राशि ₹ 200000 हेतु)	मूल प्रीमियम व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (बीमित राशि ₹ 500000 हेतु)	कुल प्रीमियम (स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा) केवल पत्रकारों हेतु ।	प्रीमियम पत्रकार की ओर से	प्रीमियम सरकार की ओर से	स्वयं	स्वयं+ पति/पत्नी	स्वयं+पति/पत्नी + एक बच्चा	स्वयं+पति/पत्नी + 2 बच्चे	स्वयं+पति/पत्नी + 3 बच्चे	माता या पिता	माता + पिता	
1	61-65	29184	359	29543	1870	27673	1870				3081			
अनुक्रमांक	आयु	मूल प्रीमियम स्वास्थ्य बीमा (बीमित राशि ₹ 200000 हेतु)	मूल प्रीमियम व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (बीमित राशि ₹ 500000 हेतु)	कुल प्रीमियम (स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा) केवल पत्रकारों हेतु ।	प्रीमियम पत्रकार की ओर से	प्रीमियम सरकार की ओर से	प्रीमियम सरकार की ओर से	स्वयं	स्वयं+ पति/पत्नी	स्वयं+पति/पत्नी + एक बच्चा	स्वयं+पति/पत्नी + 2 बच्चे	स्वयं+पति/पत्नी + 3 बच्चे	माता या पिता	माता + पिता
1	66-70	29184	359	29543	0	29543	32461							
2	71-80	40706	359	41065	0	41065	45135							



युनाइटेड इंडिया इश्युरेंस कंपनी लिमिटेड

मंडल कार्यालय- 2, 153, गुरु आर्केड, जॉन-1, एम पी नगर, भोपाल- 462011

वर्ष 2024-25

अतिरिक्त कवर के अनुसार

(वर्ष 2018-19 के आधार पर)

(गैर अधिमान्य पत्रकारों के लिए)

बीमा राशि ₹ 2,00,000/- स्वास्थ्य बीमा एवं ₹ 5,00,000/- व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा हेतु प्रीमियम चार्ट (@18% जी. एस. टी. सहित)														
अनुक्रमांक	आयु	मूल प्रीमियम स्वास्थ्य बीमा (बीमित राशि ₹ 200000 हेतु)	मूल प्रीमियम व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (बीमित राशि ₹ 500000 हेतु)	कुल प्रीमियम (स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा) केवल पत्रकारों हेतु ।	प्रीमियम पत्रकार की ओर से	प्रीमियम सरकार की ओर से	स्वयं	स्वयं+ पति/पत्नी	स्वयं+पति/पत्नी + एक बच्चा	स्वयं+पति/पत्नी + 2 बच्चे	स्वयं+पति/पत्नी + 3 बच्चे	माता या पिता	माता + पिता	
1	0-35	10562	359	10921	2370	8551	2370	2808	3246	3684	4122	657	1314	
2	36-45	12482	359	12841	2768	10073	2768	3286	3803	4321	4839	777	1553	
3	46-55	19200	359	19559	4162	15397	4162	4959	5755	6552	7348	1195	2390	
4	56-60	26497	359	26856	5676	21180	5676	6775	7874	8973	10072	1649	3298	
5	61-65	29184	359	29543	6233	23310	6233	7444						
अनुक्रमांक	आयु	मूल प्रीमियम स्वास्थ्य बीमा (बीमित राशि ₹ 200000 हेतु)	मूल प्रीमियम व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (बीमित राशि ₹ 500000 हेतु)	कुल प्रीमियम (स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा) केवल पत्रकारों हेतु ।	प्रीमियम पत्रकार की ओर से	प्रीमियम सरकार की ओर से	प्रीमियम सरकार की ओर से	स्वयं	स्वयं+ पति/पत्नी	स्वयं+पति/पत्नी + एक बच्चा	स्वयं+पति/पत्नी + 2 बच्चे	स्वयं+पति/पत्नी + 3 बच्चे	माता या पिता	माता + पिता
1	66-70	29184	359	29543	0	29543	32461							
2	71-80	40706	359	41065	0	41065	45135							



Annexure-1
युनाइटेड इंडिया इश्युरंस कंपनी लिमिटेड
मंडल कार्यालय- 2, 153, गुरु आर्केड, जॉन-1, एम पी नगर, भोपाल- 462011

वर्ष 2024-25

अतिरिक्त कवर के अनुसार

(वर्ष 2018-19 के आधार पर)

(अधिमाम्य पत्रकारों के लिए)

बीमा राशि ₹ 4,00,000/- स्वास्थ्य बीमा एवं ₹ 10,00,000/- व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा हेतु प्रीमियम चार्ट (@18% जी. एस. टी. सहित)													
अनु क्रमांक	आयु	मूल प्रीमियम स्वास्थ्य बीमा (बीमित राशि ₹ 400000 हेतु)	मूल प्रीमियम व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (बीमित राशि ₹ 1000000 हेतु)	कुल प्रीमियम (स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा) केवल पत्रकारों हेतु ।	प्रीमियम पत्रकार की ओर से	प्रीमियम सरकार की ओर से	स्वयं	स्वयं+ पति/पत्नी	स्वयं+पति/पत्नी + एक बच्चा	स्वयं+पति/पत्नी + 2 बच्चे	स्वयं+पति/पत्नी + 3 बच्चे	माता या पिता	माता+ पिता
1	0-35	16503	718	17221	1891	15330	1891	2575	3260	3944	4629	1027	2054
2	36-45	24960	718	25678	2768	22910	2768	3804	4839	5875	6910	1553	3107
3	46-55	31216	718	31934	3417	28517	3417	4712	6007	7301	8596	1942	3885
4	56-60	43975	718	44693	4740	39953	4740	6564	8388	10212	12036	2736	5472

बीमा राशि ₹ 4,00,000/- स्वास्थ्य बीमा एवं ₹ 10,00,000/- व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा हेतु प्रीमियम चार्ट (@18% जी. एस. टी. सहित)													
अनु क्रमांक	आयु	मूल प्रीमियम स्वास्थ्य बीमा (बीमित राशि ₹ 400000 हेतु)	मूल प्रीमियम व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (बीमित राशि ₹ 1000000 हेतु)	कुल प्रीमियम (स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा) केवल पत्रकारों हेतु ।	प्रीमियम पत्रकार की ओर से	प्रीमियम सरकार की ओर से	स्वयं	स्वयं+ पति/पत्नी					
1	61-65	48200	718	48918	3107	45811	3107	5106					
अनु क्रमांक	आयु	मूल प्रीमियम स्वास्थ्य बीमा (बीमित राशि ₹ 400000 हेतु)	मूल प्रीमियम व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (बीमित राशि ₹ 1000000 हेतु)	कुल प्रीमियम (स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा) केवल पत्रकारों हेतु ।	प्रीमियम पत्रकार की ओर से	प्रीमियम सरकार की ओर से	प्रीमियम सरकार की ओर से (100%) स्वयं+ पति/पत्नी						
1	66-70	48200	718	48918	0	48918	53738						
2	71-80	68380	718	69098	0	69098	75936						



युनाइटेड इंडिया इश्युरंस कंपनी लिमिटेड
मंडल कार्यालय- 2, 153, गुरु आर्केड, जॉन-1, एम पी नगर, भोपाल- 462011

वर्ष 2024-25

अतिरिक्त कवर के अनुसार

(वर्ष 2018-19 के आधार पर)

(गैर अधिमाम्य पत्रकारों के लिए)

बीमा राशि ₹ 4,00,000/- स्वास्थ्य बीमा एवं ₹ 10,00,000/- व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा हेतु प्रीमियम चार्ट (@18% जी. एस. टी. सहित)													
अनु क्रमांक	आयु	मूल प्रीमियम स्वास्थ्य बीमा (बीमित राशि ₹ 400000 हेतु)	मूल प्रीमियम व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (बीमित राशि ₹ 1000000 हेतु)	कुल प्रीमियम (स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा) केवल पत्रकारों हेतु ।	प्रीमियम पत्रकार की ओर से	प्रीमियम सरकार की ओर से	स्वयं	स्वयं+ पति/पत्नी	स्वयं+पति/पत्नी + एक बच्चा	स्वयं+पति/पत्नी + 2 बच्चे	स्वयं+पति/पत्नी + 3 बच्चे	माता या पिता	माता+ पिता
1	0-35	16503	718	17221	3782	13439	3782	4466	5151	5835	6520	1027	2054
2	36-45	24960	718	25678	5537	20141	5537	6572	7608	8643	9679	1553	3107
3	46-55	31216	718	31934	6834	25100	6834	8128	9423	10718	12013	1942	3885
4	56-60	43975	718	44693	9480	35213	9480	11304	13128	14952	16776	2736	5472
5	61-65	48200	718	48918	10356	38562	10356	12355					
अनु क्रमांक	आयु	मूल प्रीमियम स्वास्थ्य बीमा (बीमित राशि ₹ 400000 हेतु)	मूल प्रीमियम व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (बीमित राशि ₹ 1000000 हेतु)	कुल प्रीमियम (स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा) केवल पत्रकारों हेतु ।	प्रीमियम पत्रकार की ओर से	प्रीमियम सरकार की ओर से	प्रीमियम सरकार की ओर से (100%) स्वयं+ पति/पत्नी						
1	66-70	48200	718	48918	0	48918	53738						
2	71-80	68380	718	69098	0	69098	75936						

CPR- JANSAMPARK GMC POLICY – T&C's

Part of Annexure – 1 (अतिरिक्त कवर के अनुसार)

- (1) Each family is covered under floater sum insured of Rs.2 lacs and Rs. 4 lacs (as applicable).
- (2) Pre and post hospitalization expenses covered subject to a maximum of 10% of sum insured, for 30 days and 60 days respectively.
- (3) Room, Boarding and Nursing expenses(per day limit)- 2% of Sum Insured or Actual Expenses Incurred, whichever is less. ICU/ICCU/HDU(per day limit)- 4 % of Sum Insured or Actual Expenses Incurred, whichever is less.
- (4) Road ambulance expenses are covered subject to a Maximum of 1% in Critical disease.
- (5) Domiciliary hospitalization expenses not covered
- (6) Donor hospitalization expenses covered
- (7) All Pre-Existing diseases are covered
- (8) Waiver of all Waiting Periods
- (9) No Co-Payment
- (10) Cashless available in network hospital, re-imburement in case of non network hospitals.
- (11) Intimation to TPA to be provided immediately on hospitalization.
- (12) Dental treatment only in case of accident.
- (13) Modern treatment methods & advancement in technology (Inclusive of Intravitreal Injections, Oral Chemo and Immunotherapy) : Upto Full Sum Insured.
- (14) Waiver of Proportionate Deductions in case of Room Opted for Higher than eligible Category.